

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

दीठारीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या 57/2024
निर्णय दिनांक : 15.04.2025

1. तीजा देवी पत्नी स्व० छीतर जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम अगयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

उनवान

.....वादीया

बनाम

1. राजहरस गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जरिये मत्री राजू सैनी पुत्र पूरण सैनी जाति माली निवासी मकान नम्बर 103-बी कॉलोनी अवधपुरी कॉलोनी झोटवाडा रोड जयपुर।
2. कमला देवी पत्नी गौरीशंकर जाति बागडा ब्राह्मण निवासी विडहाली की ढाणी मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
3. प्रभाती देवी पत्नी नानगराम जाति बागडा ब्राह्मण निवासी विडहाली की ढाणी मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. विमला देवी पत्नी प्रभुनारायण जाति बगदा ब्राह्मण निवासी विदहली की ढाणी मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
5. कैलाशचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण
6. रामनारायण पुत्र श्रीनारायण
7. रामस्वरूप पुत्र लक्ष्मीनारायण
8. लालचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण
9. शंकर पुत्र नानगराम
समस्त जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
10. राजस्थान सकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
11. उप पंजीयक बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
12. दी जयपुर सेन्ट्रल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा सांगानेर जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबंधक ।

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादीया ने दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत विभाजन, स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया। जिसमें न्यायालय द्वारा वादीगण के वाद में दिनांक 23.09.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार तहसील सांगानेर को निर्देशित किया गया कि वाके राजस्व ग्राम अभयपुरा, पटवार क्षेत्र कपुरावाला, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर की सरहद में कृषि भूमि खाता संख्या नया 31 पुराना 29 के खसरा नम्बर 35/995 रकबा 0.0300 है०, खसरा नम्बर 49 रकबा 0.2000 है०, खसरा नम्बर 50 रकबा 0.0300 है०, खसरा नम्बर 51 रकबा 0.0500 है०, खसरा नम्बर 52 रकबा 0.0200 है०, खसरा नम्बर 53 रकबा 0.2200 है०, खसरा नम्बर 54 रकबा 0.1000 है०, खसरा नम्बर 55 रकबा 0.1800 है०, खसरा नम्बर 65 रकबा 0.3300 है०, खसरा नम्बर 66 रकबा 0.0200 है० कुल कित्ता 10 कुल रकबा 1.1800 है० का राजस्व रिकार्ड दर्ज हिस्से अनुसार एवं मिट्स एण्ड

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

राजस्व के आधार पर समस्त उभयपक्षों की मौजूदगी में कुर्रैजात रिपोर्ट तैयार कर कुर्रैजात रिपोर्ट मय नक्शों की तीन-तीन प्रतियों में तैयार कर आगामी तारीख पेशी 15.10.2024 से पूर्व कुर्रैजात रिपोर्ट मय जाने का आदेश पारित किया जिस पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा पत्र क्रमांक 10/कुर्रैजात/2024/ 9947 दिनांक 11.12.2024 के संलग्न कुर्रैजात रिपोर्ट मय नक्शों प्रतियों में प्रस्तुत की जो शामिल गिराल है।


वकील उभयपक्षों की कुर्रैजात रिपोर्ट पर बहस रुनी गई। वकील वादीगण ने अपनी बहस में तहसीलदार से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया है। वकील प्रतिवादी द्वारा कुर्रैजात रिपोर्ट आपत्ती प्रस्तुत की गयी जो शामिल गिराल है प्रार्थना पत्र आपत्ती कुर्रैजात पर सुना गया। प्रार्थना पत्र में कुर्रैजात रिपोर्ट प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति दी गई।


पत्रावली, राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट का आलोचन अवलोकन करने पर व वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। वादीगण का वाद तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट मुताबिक वाद अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाके राजस्व ग्राम अभयपुरा, पटवार क्षेत्र कपुरावाला, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मुहाना तहसील सांगानेर जिलय जयपुर की सरहद में कृषि भूमि खाता संख्या नया 31 पुराना 29 के खसरा नम्बर 35/995 रकबा 0.0300 है0, खसरा नम्बर 49 रकबा 0.2000 है0, खसरा नम्बर 50 रकबा 0.0300 है0, खसरा नम्बर 51 रकबा 0.0500 है0, खसरा नम्बर 52 रकबा 0.0200 है0, खसरा नम्बर 53 रकबा 0.2200 है0, खसरा नम्बर 54 रकबा 0.1000 है0, खसरा नम्बर 55 रकबा 0.1800 है0, खसरा नम्बर 65 रकबा 0.3300 है0, खसरा नम्बर 66 रकबा 0.0200 है0 कुल कित्ता 10 कुल रकबा 1.1800 है0 का तकासमा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:-

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज


क्र.सं.	खाता संख्या	खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	31	तीजादेवी पत्नी छीतर हि0 1/24 जाति बागडा ब्राम्हण सा0 देह खातेदार राहिन हि 1/24 दी जयपुर सेन्द्रल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा सांगानेर, राजहंस गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड हिस्सा 19/24 खातेदार जरिये मंत्री राजू सैनी पुत्र पूरण सैनी जाति माली निवासी 103- बी अवधपुरी कॉलोनी, कालवाड रोड झोटवाडा जयपुर, शंकर पुत्र नानगराम हिस्सा 1/6 जाति बागडा ब्राम्हण सा0 देह खातेदार	35/995 49 50 51 52 53 54 55 65 66	0.0300 0.2000 0.0300 0.0500 0.0200 0.2200 0.1000 0.1800 0.3300 0.0200	चाही 2 चाही 2 जाव 2 चाही 2 जाव 2 चाही 2 जाव 2 चाही 2 जाव 2 चाही 2 जाव 2 चाही 2 जाव 2 चाही 2 जाव 2 चाही 2 चाही ए	
		कुल कित्ता	10	1.1800 है0		20.87




रूप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

प्रस्तावित कुर्रेजात इन्द्राज					
क्रम	प्रस्तावित खातेदार	प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा	लगान रंग	
	तीजादेवी पत्नी छीतर हि० पूर्ण जाति बागडा ब्राम्हण सा० देह खातेदार राहिन हि पूर्ण दी जयपुर सेन्द्रल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा सांगानेर,	52/मि०	0.0135		
		54/मि०	0.0357		
	कुल कित्ता	2	0.0492 है०		
	राजहंस गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड हिस्सा 9341/11305 खातेदार जरिये मंत्री राजू सैनी पुत्र पूरण सैनी जाति माली निवासी 103-बी अवधपुरी कॉलोनी, कालवाड रोड झोटवाडा जयपुर, शंकर पुत्र नानगराम हिस्सा 1967/11308 जाति बागडा ब्राम्हण सा० देह खातेदार	35/995 49 50 51 52/मि० 52/मि० 53 54/मि 55 65 66	0.0300 0.2000 0.0300 0.0500 0.0010 0.0055 0.2200 0.0643 0.1800 0.3300 0.0200		
	कुल कित्ता	11	1.1308 है०		

नदर सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का बिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग-अलग खाता व लगान कायम किये तथा व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया नीलदार सांगानेर को भिजवाई जावे। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो।
र्णय आज दिनांक 15.04.2025 को खुले न्यायालय में सरे आम सुनाया गया।


 उप (हिममल सिंह) अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी
 जयपुर-द्वितीय (सांगानेर),
 जयपुर



अंतिम डिक्री मुकदमा इब्दादाई
(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 57/2024
पारित डिक्री दिनांक : 15.04.2025

उनवान

1. तीजा देवी पत्नी स्व० छीतर जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

.....वादीया

बनाम

1. राजहरा गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जरिये मंत्री राजू रौनी पुत्र पूरण सैनी जाति माली निवासी मकान नम्बर 103-बी कॉलोनी अवधपुरी कॉलोनी झोटवाडा रोड जयपुर।
2. कमला देवी पत्नी गौरीशंकर जाति बागडा ब्राह्मण निवासी बिडहाली की ढाणी मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
3. प्रभाती देवी पत्नी नानगराम जाति बागडा ब्राह्मण निवासी बिडहाली की ढाणी मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. विमला देवी पत्नी प्रभुनारायण जाति बगदा ब्राह्मण निवासी बिदहली की ढाणी मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
5. कैलाशचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण
6. रामनारायण पुत्र श्रीनारायण
7. रामस्वरूप पुत्र लक्ष्मीनारायण
8. लालचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण
9. शंकर पुत्र नानगराम
10. समस्त जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम अभयपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
11. राजस्थान सकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
12. उप पंजीयक बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
- दी जयपुर सेन्ट्रल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा सांगानेर जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबंधक ।

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू उपखण्ड अधिकारी, सांगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुदई रुबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाके राजस्व ग्राम अभयपुरा, पटवार क्षेत्र कपुरावाला, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मुहाना तहसील सांगानेर जिलय जयपुर की सरहद में कृषि भूमि खाता संख्या नया 31 पुराना 29 के खसरा नम्बर 35/995 रकबा 0.0300 है०, खसरा नम्बर 49 रकबा 0.2000 है०, खसरा नम्बर 50 रकबा 0.0300 है०, खसरा नम्बर 51 रकबा 0.0500 है०, खसरा नम्बर 52 रकबा 0.0200 है०, खसरा नम्बर 53 रकबा 0.2200 है०, खसरा नम्बर 54 रकबा 0.1000 है०, खसरा नम्बर 55 रकबा 0.1800 है०, खसरा नम्बर 65 रकबा 0.3300 है०, खसरा नम्बर 66 रकबा 0.0200 है० कुल कित्ता 10 कुल रकबा 1.1800

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की
से तारीख अदायगी तकका अदा करें।
बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15.04.2025 को जारी की

मुहर

दस्तखत
ओह **रूप-खण्ड आधिकारी**
जयपुर (दिलीय)

मुद्दा	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	1	00	स्टाम्प अर्जी दावा	1	00
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये
दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।



दस्तखत
रूप-खण्ड आधिकारी
जयपुर (दिलीय)